प्रेस विज्ञप्ति

20/12/2025

भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने मैसर्स सेक्रेड हॉस्पिटैलिटी कंपनी प्राइवेट लिमिटेड के मामले में फेमा उल्लंघनों के लिए प्रशमन (कंपाउंडिंग) आदेश जारी किया।

भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने 08.09.2025 को विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 (फेमा) की धारा 15 के अंतर्गत मैसर्स सेक्रेड हॉस्पिटैलिटी कंपनी प्राइवेट लिमिटेड के मामले में एक प्रशमन (कंपाउंडिंग) आदेश जारी किया है, जिसके परिणामस्वरूप फेमा, 1999 के प्रावधानों के कथित उल्लंघनों के लिए कंपनी के विरुद्ध चल रही कार्यवाहियां समाप्त हो गई है। उक्त आदेश प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा "अनापत्ति (नो ऑब्जेक्शन)" जारी किए जाने के बाद आरबीआई द्वारा पारित किया गया है।

इस मामले में, प्राप्त विश्वसनीय सूचना के आधार पर, फेमा के प्रावधानों के अंतर्गत ईडी द्वारा जांच प्रारंभ की गई। जांच पूर्ण होने के पश्चात, ईडी ने फेमा के अंतर्गत निम्नलिखित उल्लंघनों को दर्शाते हुए 03.09.2024 को फेमा की धारा 16 के अंतर्गत न्याय-निर्णयन प्राधिकारी के समक्ष शिकायत दायर की, जिनके प्रशमन (कंपाउंडिंग) किए गए हैं:-

1. रु. 25.81 करोड़ के अंतर्गत विदेशी प्राप्त भुगतानों के संबंध में फेमा 20/2000-RB की अनुसूची 1 के पैरा 9(1)(क) के अंतर्गत विलंब से रिपोर्टिंग करना।
2. रु. 21.91 करोड़ के शेयर जारी करने के पश्चात फेमा 20/2000-आरबी के उक्त अनुसूची 1 के पैरा 9(1)(ख) के अंतर्गत अंतर्गत एफसीजीपीआर (FCGPR) फॉर्म विलंब से दाखिल करना।

फेमा के प्रावधानों के अनुसार, उल्लंघन की प्रासंगिक अवधि के दौरान कंपनी के व्यवसाय के संचालन के लिए प्रभारी एवं उत्तरदायी कंपनी तथा उसके निदेशकों/अधिकारियों को फेमा की धारा 16 के अंतर्गत दिनांकित 28.10.2024 को कारण बताओ (शो कॉज़) नोटिस जारी कर न्यायनिर्णयन प्राधिकारी द्वारा निर्णयन कार्यवाही प्रारंभ की गई।

इसके पश्चात, कंपनी ने अधिनियम की धारा 15 के प्रावधानों के अनुसार उक्त उल्लंघनों के प्रशमन (कंपाउंडिंग) हेतु फेमा के अंतर्गत आरबीआई के समक्ष एक आवेदन दायर किया। आरबीआई के संदर्भ पर, ईडी ने अधिनियम की वास्तविक भावना के अनुरूप ऐसे प्रशमन (कंपाउंडिंग) के लिए अनापत्ति (नो ऑब्जेक्शन) जारी की। तदनुसार, ईडी द्वारा जारी अनापत्ति (नो ऑब्जेक्शन) के आधार पर, आरबीआई ने दिनांकित 08.09.2025 को प्रशमन (कंपाउंडिंग) आदेश के माध्यम से एकमुश्त रु. 2,73,164/- के भुगतान पर उक्त उल्लंघनों का प्रशमन (कंपाउंडिंग) किया। इसके परिणामस्वरूप, कंपनी तथा उसके पदाधिकारियों के विरुद्ध फेमा के प्रावधानों के अंतर्गत चल रही न्यायनिर्णयन कार्यवाही एवं आगे की विधिक कार्यवाहियां समाप्त हो गई है।